न्यायालय श्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः— 136/2019

वादीः— लालूराम पुत्र श्री उरजाराम, जाति जाट निवासी ग्राम सारण नगर, तहसील ओसियां, जिला—जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. श्रीमान् तहसीलदार, ओसियां।
2. श्रीमान् विकास अधिकारी पं.स. ओसियां।
3. प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय सारणों की ढाणी, ग्राम सारणनगर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

वादीगण अधिवक्ताः— श्री जसवन्तसिंह चौहान।

प्रतिवादी संख्या 1 — उपस्थित।

प्रतिवादी संख्या 2 व 3 अनुपस्थित।

—ःनिर्णयः—

दिनांक 10/1/2020

वादी ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैः— वादी ग्राम सारणनगर का स्थाई निवासी है तथा जारूगक नागरिक है तथा ग्राम में जनहित के विरूद्ध हो रहे कार्यो को रूकवाने का अधिकारी है। ग्राम सारणनगर के खसरा नम्बर 715/1 रकबा 6 बीघा बारानी चतुर्थ की भूमि आई हुई है जिसमें से 2 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 को आवंटन की हुई थी। परन्तु प्रतिवादी संख्या 3 को पांच बीघा से कम रकबे का आवंटन होने के विरूद्ध मुझ वादी ने श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट के तहत अपील प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 31.10.2019 को अपील निर्णित [illegible] दिया कि "प्राथमिक विद्यालय के लिए भूमि आवंटन की अधि[illegible] 5 बीघा एवं इस मामले में राजकीय प्राथमिक विद्[illegible] के खेल मैदान सहित विद्यालय भवन के लिए [illegible] और उसके लिए पूर्व में किये गये आवंटन आदि सभी तथ्यों का परीक्ष[illegible] करते हुए मामले की परिस्थितियों, संबंधित नियमों तथा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी परिपत्रों

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:41:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

आदि को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत अतिरिक्त रकबा आवंटन बाबत् आदेश पारित करें।" आदेश दिया जो वर्तमान में उक्त आदेश की पालना विचाराधीन है। ग्राम सारणनगर के खसरा नम्बर 715/1 रकबा 06 बीघा में से बिना किसी अन्य को आवंटन हुए उक्त भूमि में वर्तमान में निर्माण कार्य हो रहा है। जबकि उक्त भूमि बाबत् रकबा बढाने हेतु राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर ने आदेश दे रखा है बावजूद आदेश के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 निर्माण करने हेतु उतारू है। जबकि उक्त भूमि में मौके पर खेल मैदान की चारदीवारी बनी हुई है तथा उक्त भूमि किसी अन्य उपयोग में लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। गांव सारणनगर के बच्चों के अध्ययन सम्बन्धित, शारीरिक व मानसिक उपयोग हेतु उपरोक्त भूमि आवश्यक है। रकबा कम होने से भविष्य में बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी तमाम सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकेगी। दिनांक 01.10.2019 को वादग्रस्त भूमि में मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने साथ कारीगर व मजदूर लेकर आये तथा वादग्रस्त भूमि में निर्माण करवाना शुरू कर दिया उस वक्त मैं वहां गया तथा इनको वादग्रस्त भूमि निर्माण करवाने से मना किया परन्तु नहीं माने तथा मौके पर जबरदस्ती निर्माण करने की धमकी दी जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। इस प्रकार प्रथम दृष्टाय मामला वादी व ग्रामवासी सारणनगर के पक्ष में बनता है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी व ग्रामवासियों के पक्ष में बनता है तथा अपूर्णीय क्षति भी वादी व ग्रामवासियों को ही हो रही है। प्रतिवादीगण सरकारी विभाग के अधिकारी है जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन वादी का उक्त वाद आवश्यक प्रकृति का वाद है जिसमें अतिशीघ्र अनुतोष प्राप्त किया जाना आवश्यक है इसलिए समयाभाव के कारण धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रेषित किया जाना असंभव है जिसकी छूट बाबत् धारा 80(2) सीपीसी का अलग से प्रार्थना पत्र वाद के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद वादी स्वीकार किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इस आशय की जारी कि जावें कि ग्राम सारणनगर के खसरा नम्बर 715/1 रकबा 06 बीघा में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावें मौके की यथास्थिति बनाये रखें किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नहीं करें।

यह है कि वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस प्रेषित किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार ओसियां ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 की सरकारी भूमि का सीमांकन किया गया जिसमें स्कूल का 3 बीघा 07 बिस्वा भूमि पर स्कूल [illegible] मैदान की भूमि पर कब्जा है परन्तु आवंटन 2 बीघा भूमि थी। जिस [illegible] उप[illegible] अधिकारी द्वारा पुनः दिनांक 05.12.2019 को 1 बीघा 07 बिस्वा भूमि [illegible] किया। इस प्रकार कुल 3 बीघा 07 बिस्वा भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 3 के कब्जे में है व आवंटन की हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:41:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। उक्त वाद जनहित से जुड़ा होने से ग्राम सारणनगर के खसरा नम्बर 715/1 रकबा 6 बीघा में से 2 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 को आवंटन की हुई थी। वाद प्रस्तुत किये जाने के बाद प्रतिवादी संख्या 3 के विद्यालय भवन एवं खेल मैदान हेतु खसरा नम्बर 715/1 में से 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा दिनांक 05.12.2019 को आवंटन कर दी गई इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 को कुल 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि आवंटन हो चुकी है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण विद्यालय व खेल मैदान के प्रयोग के अलावा किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में नहीं ले एवं न ही उक्त भूमि में किसी प्रयोजन का कच्चा पक्का निर्माण किया जावें। इस प्रकार उक्त वाद जनहित से जुड़ा है तथा वाद स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सारणनगर के खसरा नम्बर 715/1 रकबा 6 बीघा में से प्रतिवादी संख्या 3 को आवंटन की हुई भूमि 03 बीघा 07 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण विद्यालय व खेल मैदान के प्रयोग के अलावा किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में नहीं ले एवं न ही उक्त भूमि में किसी अन्य प्रयोजन का कच्चा पक्का निर्माण किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 10/1/2020 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:41:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner